निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 ज्येष्ठ 1941 (श0)

(सं0 पटना 663) पटना, वृहस्पतिवार, 6 जून 2019

सं0-वि0(27)पे०को०-78/2005-558/

वित्त विभाग

संकल्प

6 जून 2019

विषयः- लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारण से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन कार्य में लगाए गए सरकारी/गैर-सरकारी कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से निर्वाचन कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में देय मुआवजा की राशि एवं उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प सं0-2796 दिनांक 01.04.2009, संकल्प सं0-451 दिनांक 09.04.2014 एवं संकल्प सं0-608 दिनांक 07.05.2014 द्वारा किया गया था ।

2. भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 218/6/2019-EPS, दिनांक 10.04.2019 द्वारा पूर्व में अनुशंसित दरों में संशोधन एवं इस मद में होने वाले व्यय की देयता की सूचना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा दी गई है, जो निम्नांकित हैः-

(a) (i) An amount of Rs. 15 Lakhs as the minimum amount to be paid to the next of kin of the official in the unfortunate event of death of the official while on election duty.

(ii) If the death is unfortunately caused due to any violent acts of extremist or unsocial elements like, road mines, bomb blasts, armed attacks, etc. the amount of compensation would be Rs.30 Lakhs.

(iii) In the case of permanent disability, like loss of limb, eye sight, etc., a minimum exgratia payment of Rs.7.5 Lakhs would be given to the

official (which would be doubled in the case of such mishaps being caused by extremist or unsocial elements as aforesaid).

(b) (i) The expenditure on account of payment of ex-gratia compensation to the polling personnel is wholly borne by Government of India during elections to Lok Sabha and by the State Government during election to Legislative Assemblies and shared on a 50:50 basis during simultaneous election to Lok Sabha and Legislative Assembly be the Government of India and concerned State Governments. The share of the Government of India is paid by the ministry of Law, Justice & Company Affairs (Legislative Departments). (As explained vide Commission's letter No. 218/696-PS-II dated 08.10.1996).

(ii) It may be further clarified that in case of Lok Sabha elections, the payment of ex-gratia compensation shall be made by the State Government initially and the claims shall be made to the Government of India later on.

3. भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक-218/6/2019-EPS, दिनांक 10.04.2019 के क्रम में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि-

(a) (i) निर्वाचन कर्त्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों के निर्वाचन कर्त्तव्य पर मृत्यु की स्थिति में 15 लाख रूपये देय होगा ।

(ii) उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाईयों यथा रोड माइन्स, बम विस्फोट, शसस्त्र आक्रमण आदि में मृत्यु होने पर 30 लाख रूपये देय होगा ।

(iii) स्थायी विकलांगता यथा अंग भंग, अंधापन आदि होने पर 7.5 लाख रूपये देय होगा । परन्तु उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में इस प्रकार की विकलांगता होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की दुगुनी राशि अर्थात 15 लाख रूपये देय होगा ।

(b) कर्मियों को अनुग्रह अनुदान लोक सभा चुनाव के लिए भारत सरकार द्वारा देय होगा एवं विधान सभा चुनाव के लिए राज्य सरकार द्वारा देय होगा । लोक सभा एवं विधान सभा का चुनाव एक साथ होने की स्थिति में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की देयता 50:50 की होगी ।

लोक सभा चुनाव के लिए अनुग्रह अनुदान प्रारंभ में राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा एवं तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उस राशि का दावा भारत सरकार (Ministry of Law, Justice & Company Affairs) से किया जाएगा ।

4. संकल्प संख्या-2796 वि0(2) दिनांक 01.04.2009, संकल्प सं0-451 दिनांक 09.04.2014 एवं संकल्प सं0-608 दिनांक 07.05.2014 के प्रावधान इस संशोधन के साथ प्रभावी रहेंगे ।

5. इसके प्रावधान लोक सभा आम निर्वाचन 2019 से प्रभावी होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव(व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)663-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in